Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025
fb: https://www.facebook.com/PopularFrontofIndiaOfficial/ website: www.popularfrontindia.org
email: popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली
10 दिसंबर, 2017

असम नागरिकता केस: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने असम में नागरिक की नागरिकता के पर्याप्त प्रमाण के रूप में पंचायत प्रमाण पत्र की वैधता बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
पॉपुलर फ्रण्ट के चेयरमैन ई. अबू बक्र साहब ने अपने बयान में कहा है कि 1977 के बाद से जब से सांप्रदायिक तत्वों ने छिपी साजिश रची थी कि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों और हिंदुओं को मिलाकर असम के लाखों मूल निवासियों को बांग्लादेशी करार दे दिया गया था। विभिन्न आवसरों पर जैसे नोटिफिकेशन, सरकारी आदेशों और कानूनी लड़ाई के समय अपनी नागरिकता साबित करने में लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अपनी नागरिकता को साबित करने का बोझ पीड़ितों के कंधों पर पड़ता था।

17 दिसंबर 2014 को, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मसौदे को तैयार करने और नवीनीकृत करने का आदेश दिया और यह मसौदा 31 दिसंबर, 2017 को प्रकाशित करने की समय सीमा तय की थी। एनआरसी एक रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का पूरा विवरण रहता है। 1951 की जनगणना करने के बाद, एनआरसी को 1951 की जनगणना के दौरान वर्णित सभी व्यक्तियों के विवरण दर्ज करके तैयार किया गया था। एनआरसी के नवीनीकरण या उन्नतीकरण असम में रहने वाले सभी नागरिकों के नामों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया है।

पिछले तीन सालों से अपडेशन और नवीनीकरण का काम चल रहा था। पीड़ितों के चौदह सूचीबद्ध सरकारी दस्तावेजों में से किसी एक को एनआरसी में पंजीकृत कराने के लिए काफी माना जाता था। स्थानीय पंचायत प्रमाण पत्र उन दस्तावेजों में से एक था। हिंदुओं और आदिवासियों सहित करीब 48 लाख लोगों ने इस प्रमाण पत्र को अधिकारियों के सामने पेश किया था। उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे और उनमें से आधी महिलाएं थीं। इस साल 28 फरवरी को, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पंचायत प्रमाण पत्र की वैधता को शून्य और अमान्य कर दिया था, जिसे एनआरसी अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया गया था। पीड़ितों को साथ लेकर विभिन्न संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)के सामने इसे चैलेंज किया था। अब न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया।

ई अबू बक्र साहब ने बताया कि यह आदेश लगभग 47.09 लाख आवेदकों को राहत प्रदान करेगा, जो अपने पिता और पति के साथ संबंध साबित करने के लिए पंचायत दस्तावेज़ का इस्तेमाल करते हैं।

भवदीय
पब्लिक रिलेशन सेक्रेट्री
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
मुख्यालय, नई दिल्ली